

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

मांग संख्या 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	1537.64	358.35	1895.99	2031.51	652.49	2684.00	2021.51	641.49	2663.00	2140.04	670.96	2811.00
<i>वसूलियां</i>	-6.33	-36.00	-42.33	...	-26.00	-26.00	...	-5.00	-5.00	...	-11.00	-11.00
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>1531.31</b>	<b>322.35</b>	<b>1853.66</b>	<b>2031.51</b>	<b>626.49</b>	<b>2658.00</b>	<b>2021.51</b>	<b>636.49</b>	<b>2658.00</b>	<b>2140.04</b>	<b>659.96</b>	<b>2800.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	14.92	...	14.92	16.51	...	16.51	17.84	...	17.84	18.41	...	18.41
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें</b>												
2. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	377.15	8.67	385.82	342.55	42.00	384.55	342.50	42.00	384.50	604.42	40.00	644.42
	-6.33	...	-6.33	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>370.82</i>	<i>8.67</i>	<i>379.49</i>	<i>342.55</i>	<i>42.00</i>	<i>384.55</i>	<i>342.50</i>	<i>42.00</i>	<i>384.50</i>	<i>604.42</i>	<i>40.00</i>	<i>644.42</i>
3. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें-विशेष विकास परियोजनाएं	187.01	...	187.01	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	57.45	...	57.45
<b>जोड़-पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें</b>												
<b>पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल</b>	<b>557.83</b>	<b>8.67</b>	<b>566.50</b>	<b>542.55</b>	<b>42.00</b>	<b>584.55</b>	<b>542.50</b>	<b>42.00</b>	<b>584.50</b>	<b>661.87</b>	<b>40.00</b>	<b>701.87</b>
4. पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	197.28	144.56	341.84	404.50	176.45	580.95	404.50	176.45	580.95	...	...	...
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)												
5.01 एनईएसआईडीएस कार्यक्रम	420.70	...	420.70	630.00	...	630.00	628.72	...	628.72	678.79	...	678.79
5.02 पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	25.05	...	25.05	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	60.00	...	60.00
5.03 पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	550.00	130.00	680.00
<i>जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)</i>	<i>445.75</i>	<i>...</i>	<i>445.75</i>	<i>675.00</i>	<i>...</i>	<i>675.00</i>	<i>673.72</i>	<i>...</i>	<i>673.72</i>	<i>1288.79</i>	<i>130.00</i>	<i>1418.79</i>
<b>जोड़-पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल</b>												
<b>पूर्वोत्तर सड़क परियोजनाएं</b>	<b>643.03</b>	<b>144.56</b>	<b>787.59</b>	<b>1079.50</b>	<b>176.45</b>	<b>1255.95</b>	<b>1078.22</b>	<b>176.45</b>	<b>1254.67</b>	<b>1288.79</b>	<b>130.00</b>	<b>1418.79</b>
6. पूर्वोत्तर राज्य सड़क पीएमयू (एडीबी से सहायता प्राप्त)												
6.01 परियोजना प्रबंधन इकाई	0.53	...	0.53	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.30	...	0.30
7. पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7.01 कार्यक्रम घटक	...	135.12	135.12	...	374.04	374.04	...	374.04	374.04	...	435.96	435.96
7.02 ईएपी घटक	281.00	...	281.00	321.65	...	321.65	300.32	...	300.32	60.00	...	60.00
जोड़- पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम	281.00	135.12	416.12	321.65	374.04	695.69	300.32	374.04	674.36	60.00	435.96	495.96
<b>जोड़-पूर्वोत्तर सड़क परियोजनाएं</b>	<b>281.53</b>	<b>135.12</b>	<b>416.65</b>	<b>322.20</b>	<b>374.04</b>	<b>696.24</b>	<b>300.87</b>	<b>374.04</b>	<b>674.91</b>	<b>60.30</b>	<b>435.96</b>	<b>496.26</b>
<b>विशेष विकास पैकेज</b>												
8. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद	...	...	...	11.00	...	11.00	3.31	...	3.31	30.00	...	30.00
9. कार्बी आंगलांग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद	21.55	...	21.55	37.75	...	37.75	67.44	...	67.44	40.00	...	40.00
10. दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद	12.45	...	12.45	22.00	...	22.00	...	...	...	35.00	...	35.00
<b>जोड़-विशेष विकास पैकेज</b>	<b>34.00</b>	...	<b>34.00</b>	<b>70.75</b>	...	<b>70.75</b>	<b>70.75</b>	...	<b>70.75</b>	<b>105.00</b>	...	<b>105.00</b>
11. पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम (नीडस) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को ऋण	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	40.00	40.00	...	50.00	50.00
12. सामाजिक और अवसरचर्चागत विकास निधि	...	36.00	36.00	...	26.00	26.00	...	5.00	5.00	...	11.00	11.00
	...	-36.00	-36.00	...	-26.00	-26.00	...	-5.00	-5.00	...	-11.00	-11.00
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>1516.39</b>	<b>318.35</b>	<b>1834.74</b>	<b>2015.00</b>	<b>622.49</b>	<b>2637.49</b>	<b>1992.34</b>	<b>632.49</b>	<b>2624.83</b>	<b>2115.96</b>	<b>655.96</b>	<b>2771.92</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
13. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	11.33	2.00	13.33	5.67	2.00	7.67
14. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	...	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	...	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>11.33</b>	<b>4.00</b>	<b>15.33</b>	<b>5.67</b>	<b>4.00</b>	<b>9.67</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	...	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	...	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>11.33</b>	<b>4.00</b>	<b>15.33</b>	<b>5.67</b>	<b>4.00</b>	<b>9.67</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1531.31</b>	<b>322.35</b>	<b>1853.66</b>	<b>2031.51</b>	<b>626.49</b>	<b>2658.00</b>	<b>2021.51</b>	<b>636.49</b>	<b>2658.00</b>	<b>2140.04</b>	<b>659.96</b>	<b>2800.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	14.92	...	14.92	16.51	...	16.51	17.84	...	17.84	18.41	...	18.41
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	19.74	...	19.74	20.59	...	20.59	20.59	...	20.59	22.59	...	22.59
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>34.66</b>	...	<b>34.66</b>	<b>37.10</b>	...	<b>37.10</b>	<b>38.43</b>	...	<b>38.43</b>	<b>41.00</b>	...	<b>41.00</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
3. ग्राम और लघु उद्योग के लिए ऋण	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
4. उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	40.00	40.00	...	50.00	50.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	...	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	...	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	...	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>	...	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	776.66	...	776.66	952.51	...	952.51	962.51	...	962.51	1816.59	...	1816.59
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	719.99	...	719.99	1041.90	...	1041.90	1020.57	...	1020.57	282.45	...	282.45
7. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	...	288.35	288.35	...	592.49	592.49	...	592.49	592.49	...	605.96	605.96

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	1496.65	288.35	1785.00	1994.41	592.49	2586.90	1983.08	592.49	2575.57	2099.04	605.96	2705.00
कुल जोड़	1531.31	322.35	1853.66	2031.51	626.49	2658.00	2021.51	636.49	2658.00	2140.04	659.96	2800.00

  

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि0	2.00	0.08	2.08	2.00	...	2.00	13.33	0.08	13.41	7.67	0.50	8.17
2. पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प निगम विकास लि0	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	0.78	2.78	2.00	4.50	6.50
जोड़	4.00	0.08	4.08	4.00	...	4.00	15.33	0.86	16.19	9.67	5.00	14.67

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान।

2. **पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें:** ये स्कीमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं। इनका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, महत्वपूर्ण अंतर पाटने की जरूरत वाले क्षेत्रों को शामिल करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास करना है। इस प्रावधान में पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग के सचिवालय का भी व्यय शामिल है।

3. **पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें-विशेष विकास परियोजनाएं:** एनईसी पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को बांस, सुअर पालन, क्षेत्रीय पर्यटन, उच्च शिक्षा, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, टेलीमेडिसिन, तथा पूर्वोत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल आदि जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है।

5.01. **एनईएसआईडीएस कार्यक्रम:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) के लिए है, जिसे दो क्षेत्रों अर्थात (i) जल आपूर्ति, विद्युत, संपर्क एवं विशेषकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं; (ii) शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सामाजिक क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन में अंतर को पाटने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 15.12.2017 को अनुमोदित किया गया था।

5.02. **पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान मणिपुर के पिछड़े जिले तामेंगलांग के विकास हेतु भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना के संवर्धन के लिए पायलट आधार पर लागू कार्यक्रम के लिए किया गया है।

5.03. **पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल:** केंद्रीय अव्ययगत संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) का व्यापक उद्देश्य इस क्षेत्र में विशिष्ट अर्थक्षम अवसंरचनागत परियोजनाओं/स्कीमों के लिए बजटीय वित्तपोषण के प्रवाह को बढ़ाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में

अवसंरचना का त्वरित विकास सुनिश्चित करना है। यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को 10% अधिदेशात्मक निर्धारण के माध्यम से उनके द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं/स्कीमों का निर्धारण करने में तथा क्षेत्रीय तथा/या एनईआर में राष्ट्रीय बरीयता वाली स्कीमों को क्रियान्वित करने में भी सक्षम बनाता है। एनएलसीपीआर के राज्य घटक को ईएफसी की सिफारिश के अनुसार पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास स्कीम के साथ मिला दिया गया है। यह प्रावधान इन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए है।

6. **पूर्वोत्तर राज्य सड़क पीएमयू (एडीबी से सहायता प्राप्त):** पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएसडीएस) पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपेक्षित अंतरराज्यीय सड़कों की पुनर्बहाली/निर्माण/उन्नयन के लिए है।

7.01. **कार्यक्रम घटक:** पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएसडीएस) पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपेक्षित अंतरराज्यीय सड़कों की पुनर्बहाली/निर्माण/उन्नयन के लिए है।

7.02. **ईएपी घटक:** यह प्रावधान एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (नेसरिप) परियोजना के लिए है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/ उन्नयन के लिए है।

8. **बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

9. **कार्बी आंगलांग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

10. **दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

11. **पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम (नीडस) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को ऋण:** पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (नेडफी) को गुवाहाटी स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय के साथ 9 अगस्त 1995 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में निगमित किया गया था। नेडफी का उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल अर्थक्षम औद्योगिक अवसंरचनागत एवं कृषि-उद्यानिकी परियोजनाओं की पहचान, वित्तपोषण और संवर्धन द्वारा इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। इसका नाम बदलकर उत्तर पूर्व उद्यम विकास योजना (एनईईडीएस) कर दिया गया है। यह प्रावधान नेडफी को दीर्घकालिक सरल ऋण प्रदान करने के लिए किया गया है।

12. **सामाजिक और अवसंरचनागत विकास निधि:** यह एक विशेष निधि है जिसके माध्यम से अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में अवसंरचनागत सुविधाओं का निर्माण एवं उन्नयन किया जाता है।

13. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम:** पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामेक) एक केन्द्रीय लोक उपक्रम है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि एवं बागवानी उत्पादों के खाद्य प्रसंस्करण एवं व्यापार को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह प्रावधान इसके व्यापार क्रियाकलापों के लिए निगम द्वारा कार्यशील पूंजी का उपयोग करने के लिए और 18 अगस्त, 2021 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन लिमिटेड (एनईआरएएमएसी) के पुनरुद्धार के लिए व्यय को पूरा करने के लिए भी किया गया है।

14. **पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.:** पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (एनईएचएचडीसी) को मार्च 1977 में इस क्षेत्र के निर्मित उत्पादों के उत्पाद तथा डिजाइन विकास, प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा उत्पादों के विपणन के लिए विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक इनपुट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। मंत्रालय प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि जैसे संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में होने वाली नकदी हानि की भरपाई के लिए एनईएचएचडीसी को ऋण मुहैया कराता है।